# बिहार सरकार
# वित्त (अंकेक्षण) विभाग
# भागलपुर प्रमंडल भागलपुर

## अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 102/09–10

1. **परिचयात्मक** –

(क) लेखा का नाम – जिला नजारत कार्यालय, भागलपुर

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखा अवधि – वर्ष 2007–08

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम,पदनाम एवं कार्यकाल –

(i) श्री अरूण भूषण प्रसाद–आयुक्त भागलपुर 21.12.05 से 30.6.07

(ii) श्री हेमचन्द सिरोही – प्रभारी आयुक्त मुंगेर 1.07.07 से 18.03.08

(iii) श्री अखिलेश्वर प्र0 गिरि – आयुक्त भागलपुर 19.3.08 से 31.3.09

(ड़) अंकेक्षण अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी का नाम, कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं अवधि –

(i) श्री मो0 शकील आलम, नजारत उप समाहर्त्ता 3.11.06 से 28.6.07

(ii) श्री मति जय श्री ठाकुर,नजारत उप समाहर्त्ता 29.6.07 से 24.9.07

(iii) श्री बी0 के0 मिश्रा, नजारत उपसमाहर्त्ता 25.9.07 से 14.12.08

(iv) श्री जगदीश मोदी, जिला नाजीर 22.8.2001 से 30.9.07

(v) श्री वीरेन्द्र कुमार साह, जिला नाजीर 1.10.07 से 31.07.09

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम –

(i) श्री कुशेश्वर दास–नजारत उपसमाहर्त्ता

(ii) श्री वीरेन्द्र कु0 साह – जिला नाजीर (भूत पूर्व)

(iii) श्री कुबंर नाथ भगत – वर्त्तमान जिला नाजिर

(छ) अंकेक्षकों का नाम – (i) श्री अभय नन्दन तिवारी, व0 अं0 (2)

(ii) श्री अशोक कुमार , व0 अं0 (2)

(ज) अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि – 26.06.09

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 21.12.09

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 60 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट (ए) पर दी गयी है।

(ढ) अंकेक्षण का क्षेत्र – इस कार्यालय के लेखा का सामान्य अंकेक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 में निहित निदेशानुसार सम्पन्न किया गया। लेखा अभिलेखों का संधारण सामान्य एवं उचित रीति से किया पाया गया।

कोषागार से निकासी एवम् उसमें जमा की गयी राशि का सत्यापन जिला कोषागार भागलपुर के अभिलेखों से शत् प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। शीर्ष 3456 आपूर्त्ति एवं 8011 से संबंधित कोषागार अभिलेख नहीं मिलने के कारण संबंधित शीर्षो के निकासी एवं जमा की गयी राशि का सत्यापन कम्प्यूटर कक्ष में जाकर कम्प्यूटर मशीन से किया गया एवं सही पाया गया।

अंकेक्षण के अभियान पर कार्यालय द्वारा तीन अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अलग से विभाग को प्रेषित की गयी।

अंकेक्षण क्रम में निर्गत अंकेक्षण आपत्तियों को अनुपालन के साथ लौटा गया परन्तु अनुपालन एवं वास्तविक स्थिति में कोई तालमेल नही पाया गया। महालेखाकर बिहार से संबंधित एक भी अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया।

## (ड) वित्तीय समीक्षा –

वर्ष 2007–08 का आवंटन एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''बी'' पर दिया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कार्यालय द्वारा भिन्न–2 शीर्षो में व्यय आवंटन के अर्न्तगत की गयी थी एवं व्ययोपरान्त बचत राशि को प्रत्यार्पित कर दिया गया था। जिसका सत्यापन संबंधित पत्रों से कर लिया गया।

जाँच क्रम में रू0 55,085=00 का अनियमित व्यय (कंडिका –3 एवं परिशिष्ट 'एफ' द्रष्टव्य) चाय, नास्ता, लंच पैकेटआदि पर किया गया, जिसे आपत्ति अंतर्गत रखा जाय। सूद की राशि रू02,51,67,159.07 पै0 (कंडिका–4 द्रष्टव्य) एवं सामान्य रोकड़ पुस्त में लम्बी अवधि से जमा पड़ी हुई विभिन्न मदोंकी बचत राशि रू0 97,35,535.92 पै0 (कंडिाका–5 द्रष्टव्य) को कोषागार में जमा करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावे रू0 12,32,000.00 अग्रिम असमायोजित रह गया (कंडिका–6 परिशिष्ट''जी'' द्रष्टव्य) असमायोजन कि स्थिति में वसूली की अनुशंसा की गयी। निर्वाचन मद के अभिश्रवों एवं स्टेट गेस्ट के अभिश्रवों (कंडिका–7) कोअबिलम्ब समायोजित कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित करनेका सुझाव दिया गया । आयुक्त कार्यालय अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी का भुगतान एवं जनरेटर ईधन मद मेंव्ययराशि का भुगतान (कंडिका–8 परिशिष्ट''एच'' द्रष्टव्य) जो अनियमित था कार्यालय को रोक लगाने का सुझावदिया गया। रू0 1750.00 की वूसली का सुझाव टेलिफोन विपत्रों का भुगतान विहित तिथि के बाद करने के कारण हुईक्षति के लिये दिया गया है । (कंडिका–9 परिशिष्ट ''आई'' द्रष्टव्य) कंडिका–2 श्री निर्मल कुमार मिश्र नाजीर द्वारा रू0 1,43,73,349.28 पै0 का अभिश्रव का प्रभार नहीं दिये जाने पर दुर्विनियोग कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष इनभेनटरी लिस्ट तैयार कराने एवं

उचित काय्रवाई करने का सुझाव दिया गया । कंडिाक–10 अंकेक्षण के दृष्टान्त पर वसूली गयी राशि को कोषागार में जमा कराया गया।

(1) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक–503 दिनांक 29.1.76 में निहित निदेशानुसार अंकेक्षण प्रारंभण तिीि दिनांक 26.6.09 को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यान कराया गया। उस रोकड पंजी के अंतशेष एवं नगदी शेष तथा भौतिक सत्यापन का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''सी'' पर दिया गया है। दिनांक 26.6.09 को सामान्य रोकड़ पुस्त का कुल अवशेष रू0 37,56,55,512.22 पै0पाया गया। परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि अंकेक्षण प्रारंभण तिथि को अग्रिम के रूप में रू0 13320233.70पै0 विभिन्न व्यक्तियों/कार्यालयोंरु/संस्थानों के पास समायोजन हेतु लंबित थ। इसके साथं ही अभिश्रव के रूप मेंरू0 2,76,21,091.16 पै0 संवरण रोकड़ के अंतर्गत रखा पाया गया जो बिहार बजट हस्तक केनियम 107(3) 112,113,121 एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम 71,72,471,472 एवं 475 के अनुसार आपत्तिजनक था। उक्त बड़ी राशि का अबिलम्ब समायोजन कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) वभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(2) वर्ष 2007–08 से सबंधित सामान्य एवं सहायक रोकड़ पुस्तों के प्रारभ्भण एवं सवंरण रोकड़ का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ठ ''डी'' पर द्रष्टव्य।

(3) समाहरणालय कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के अधीन स्वीकृत /कार्यरत/रिक्त बल का व्यौरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ठ ''इ'' पर दिया गया। आलोच्य वर्ष में कार्यरत बल स्वीकृत बल के अर्न्तगत पाया गया।

## भाग – 1

(2) राशि 1,43,73,343=28 पै0 का अभिश्रव का प्रभार नही दिये जाने के कारण सभ्भावित दुर्विनियोग –

वर्ष 2007–08 के सामान्य रोकड़ पुस्त के जाँचक्रम में पाया गया कि दिनांक 29.9.07 के आय पक्ष में दर्शायी गयी टिप्पणी से ज्ञात हुआ कि श्री जगदीश मोदी नाजीर के द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार साह नाजीर को कुल अभिश्रव के रूप में 2,61,11,772=41 पै0 का प्रभार देना था। जिसमें मात्र अभिश्रव के रूप में 1,17,38,429=13 पै0 का प्रभार दिया पाया गया। शेष अभिश्रव के रूप में 1,43,73,343=28 पै0 प्रभार में नही दिया पाया गया। उक्त अभिश्रव पारित किया गया था। अथवा केवल भुगतान का आदेश प्राप्त था, इसका स्पष्ट पता नही चल सका, ऐसी स्थिति में गबन/दुर्विनियोग की सभ्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में अनुपलब्ध कहा गया कि शेष अभि0 1,43,73,343=28 पै0 श्री निर्मल कुमार मिश्र पूर्व नाजीर द्वारा प्रभार नही दिये

जाने के कारण कार्यपालक दंडाधिकारी के देखरेख में इनमेनटरी लिस्ट तैयार किया जा रहा था।

इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि अविलम्ब इनमेनटरी लिस्ट तैयार कराकर जाँचोपरान्त आवश्यक कारवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

## (3) रू0 55,085=00 पै0 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 2007–08 के शीर्ष 2053 सामान्य प्रशासन के अर्न्तगत अभिश्रवों के जाँचक्रय में पाया गया रू0 55,085=00 का व्यय नास्ता पैकेट, लंच पैकेट, मिनरल वाटर ,चाय, काफी,मीठा एवं नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक आदि के क्रय पर किया गया था। इससे संबंधित विस्तृत विवरण परिशिष्ठ ''एक'' पर दृष्टव्य। इसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि उक्त खाद्य सामग्री का क्रय समाहरणालय एवं आयुक्त कार्या0 में समय–समय पर आह्त बैठकों के लिए किया गया था। परन्तु इस तरह के व्यय का कोई प्रावधान नही रहने के कारण व्यय अनियमित था। इस संदर्भ में निर्गत आपत्तियों के अनुपालन में जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में यह व्यय किया गया एवं वित्त विभाग के ज्ञापंक 351 दि0 3.6.09 का उल्लेख किया गया था। लेकिन न तो जिला पदाधिकारी का आदेश और न ही वित्त विभाग का जारी यह पत्र दिखाया गया।

अतः विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान उक्त अनियमित व्यय पर रोक लगाने हेतु आकृष्ट किया जाता है तथा व्यय की राशि रू0 35085=00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

## (4) अस्थाई सामान्य अग्रिम की राशि 12,32,000=00 असमायोजित :–

बिहार कोषागार संहिता के नियम 609 में वर्णित प्रावधानों के तहत अस्थायी अग्रिम का समायोजन/वसूली यथाशीध्र किया जाना चाहिए। अग्रिम की राशि जिस वर्ष दिया जाय उसका समायोजन/वसूली उसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य किया जाना चाहिए था तथा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को दूसरी अग्रिम तभी दिया जाना चाहिए था। जब पहला अग्रिम का समायोजन हो जाय।

वर्ष 2007–08 के अग्रिम –पंजी के जाँचक्रम में पाया गया कि नियम के प्रतिकूल कार्यालय द्वारा बहुत सारे कर्मचारियों/पदाधिकारियों/निजी व्यक्तियों/इंजिनियरिंग संभाग को विभिन्न उद्धेश्यों के प्राप्ति के लिए अग्रिम दी गयी थी जो 31.3.08 तक राशि 20,86,936=00 था जिसका समायोजन के पश्चात् राशि 12,32,000=00 अंकेक्षण तक समायोजन हेतु लंबित पाया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''जी'' पर द्रष्टव्य है।

विवरण निम्नवत है –

| वर्ष 2007–08 में दी गयी अस्थायी अग्रिम की राशि | कुल समायोजित अस्थायी अग्रिम की राशि | वर्ष | अवशेष असमायोजित अस्थायी अग्रिम की |
|---|---|---|---|

| | | | राशि |
|---|---|---|---|
| 20,86,936=00 | 4,000=00 | 2007–08 | 12,32,000=00 |
| | 8,50,936=00 | 2008–09 | |

**कुल – 8,54,936=00**

परिशिष्ठ के अवलोकन से ज्ञात होगा कि अनेक अग्रिम गाड़ी मरम्मति के लिए चालकों को दिया गया था। लेकिन उससे संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में अप्राप्त था। अनेक व्यक्तियो को अग्रिम पटना जाने हेतु दिये गये थे। पटना में राशि का व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव उपलब्ध नही कराया गया। अग्रिम के समायोजन हेतु की गई कार्रवाई को नजारत कार्यालय द्वारा स्पष्ट नही किया गया। जितनी उदारता से अग्रिम दिये गये थे उतनी तत्परता से उसके समायोजन में रूचि नही दिखायी पायी गयी। इस प्रकार अग्रिम प्राप्तकर्त्ता एवं नजारत कार्यालय के उदासीनता के कारण इतनी बड़ी राशि असमायोजित रह गयी। नजारत कार्यालय के उदासीनता के कारण अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि 26.06.09 को अग्रिम स्वरूप राशि बढ़कर रू0 1,33,20,233=70 हो गयी। अग्रिम दिये जाने के बाद लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है। सभी संबंधित व्यक्तियों अग्रिम समायोजन हेतु सूचित किया जाय। अगर समायोजन सभ्भव नही हो तो दिये गये अग्रिम राशि की वसूली हेतु कारवाई की जाय। इस संबंध में उठायी गयी कारगर कदम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

## (5) कुल रू0 11,23,679=53 का समायोजन नही किया जाना :–

(क) सामान्य रोकड़–पुस्त के दिनांक 26.6.09 के संवरण शेष के भौतिक सत्यापन क्रम में पाया गया कि जिला नजारत कार्यालय भागलपुर के द्वारा वर्ष 2005–06 में निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने में किया गया कुल व्यय राशि 11,17,040=55 पै0 के अभिश्रव का समायोजन लंबित पाया गया। उल्लेखनीय है जिला निर्वाचन कार्यालय भागलपुर का स्थापना कार्यालय अलग था। अभिश्रव से सम्बन्धित निम्न प्रकार था।

अभिश्रव निर्वाचन वर्ष 2005–06 – 70,998=55
अभिश्रव निर्वाचन वर्ष 2005–06 – 6,500=00
अभिश्रव निर्वाचन वर्ष 2005–06 – 3,79,067=00
अभिश्रव लोक सभा निर्वाचन वर्ष 2006 – 6,60,475=00

**कुल – 11,17,040=55**

इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि जिला नजारत शाखा भागलपुर से निर्वाचन मद में व्यय की गयी कुल राशि 10,46,042=00 की माँग निर्वाचन शाखा से की गयी है। राशि प्राप्त होते ही अभिश्रव का समायोजन किया जायेगा एवं शेष राशि 70,998=55 सी0 पी0 एम0 एफ से संबंधित था जिसे सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर समायोजित किया जायेगा।

(ख) सामान्य रोकड़–पुस्त के दिनांक 26.6.09 के संवरण शेष के भौतिक सत्यापन क्रम में पाया गया कि स्टेट गेस्ट अभिश्रव की राशि 16638=98 पै0 का समायोजन वर्षो से लंबित पाया गया।

इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति में अनुपालन में यह लिखकर लौटाया गया है ''स्टेट गेस्ट अभिश्रव की राशि 6638=98 पै0 को शीध्र समायोजन कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः विभागीय पदा0 का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वे अपने स्तर से उप कंडिका ''क'' से संदर्भित निर्वाचन मद में व्यय की गई राशि 11,17,040=55 का (10,46,042=00+ 70,998=55) समायोजन हेतु माँग की जाय उसी प्रकार उप कंडिका ''ख'' राशि 6638=98 (स्टेट गेस्ट अभिश्रव की असमायोजित राशि अर्थात कुल 11,23679=53 असमायोजित राशि का अविलम्व समायोजन कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

## (6) आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी का भुगतान एवं जेनरेटर इंधन पर कुल व्यय रू0 1,80,737=00 अनियमित एवं आपत्ति अर्न्तगत :–

शीर्ष 2053 सामान्य प्रशासन के अर्न्तगत वर्ष 2007–08 के अभिश्रवों के जाँचक्रम में पाया गया कि अनेक दैनिक वेतन भोगी को आयुक्त कार्या0 भागलपुर/आवास में जेनरेटर चलाने ,फोन अटैड करने,रात्रि प्रहरी के रूप में जिला नजारत कार्यालय भागलपुर के द्वारा प्रत्येक माह प्रतिनियुक्त किया पाया गया एवं संबंधित दैनिक वेतन भोगी को नजारत कार्यालय द्वारा कुल रू0 102888=00 का भुगतान किया पाया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''एच'' पर द्रष्टव्य जाँच क्रम में पाया गया कि इस भुगतान का आवंटन प्राप्त नही था और न ही कार्यालय के पास इस भुगतान के लिए कोई सरकारी आदेश ही प्राप्त था। फिर भी विभिन्न मदों से राशि को विचलित कर यह भुगतान किया पाया गया जो वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था। इस अतिरिक्त दायित्व को सृजित करने के औचित्य को कार्यालय द्वारा स्पष्ट नही किया गया।

पुनः उपरोक्त शीर्ष के अर्न्तगत आयुक्त कार्यालय में जनरेटर चलाने के लिए ईंधन की आपूर्त्ति इस कार्यालय द्वारा किया गया था। उक्त मद में कुल राशि 77,849=00 व्यय किया गया था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''एच'' पर द्रष्टव्य। उक्त राशि का भुगतान आयुक्त कार्यालय द्वारा क्यों नही किया गया , यह स्पष्ट नही हुआ।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नही पाया गया। अतः उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर विशेषरूप से आकृष्ट किया जाता है वे अपने स्तर से इसकी जाँच की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय तबतक इस अनियमित भुगतान राशि 180,737=00 को आपत्ति अर्न्तगत रखी जाती है।

## (7) रू0 1750=00 टेलिफोन विपत्रों का विहित तिथि के बाद भुगतान किये जाने के कारण राजकोष की क्षति :–

वर्ष 2007–08 से संबंधित शीर्ष 2053 जिला प्रशासन,2029 भू0 रा0, 2055 पुलिस, 2070 परिसदन अर्न्तगत टेलिफोन विपत्र अभिश्रवों की जाँव में पाया गया कि अनेकों विपत्रों का भुगतान जमा विहित तिथि के बाद किया गया था। इससे संबंधित विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''आई'' पर दिया गया है । अगर विपत्रों का भुगतान विहित तिथि या उसके पूर्व किया जाता तो अधिभार के रूप में भुगतीत राशि की बचत हो सकती थी। जाँचक्रम में यह ज्ञात हुआ कि टेलिफोन विपत्रों के प्राप्ति के पश्चात् भुगतान हेतु अधिकारियों द्वारा आदेश में हुई देरी के कारण अधिभार के रूप में बचत होने वाली राशि से सरकार को वंचित होना पड़ा। संदर्भित परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि कई मामलों में एक दिन की देरी से सैकड़ों का नुकसान हुआ। इस प्रकार कुल मिलाकर रू0 1750=00 की सरकार को क्षति हुई। अतः दोषी पदाधिकारी /कर्मचारियों से उक्त क्षति पदाधिकारी कर्मचारियों से उक्त क्षति राशि की पूर्ति कर उसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को दी जाय। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान ऐसे टेलिफोन विपत्रों का भुगतान समय पर करने के लिए निर्देश देने हेतु आकृष्ट किया जाना है।

## भाग –2

### (8) सूद की राशि रू0 2,51,67,159=07 को सरकारी कोष में जमा करने योग्य :–

जिला नजारत कार्यालय भागलपुर की सूद– पंजी के जाँचक्रम में पाया गया कि विभिन्न बैंको में जमा की गयी राशि से अर्जित सूद की राशि 2,51,67,159=07 रू0 का संधारण अलग रोकड़ –पंजी में किया पाया गया। उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा हो जाना चाहिए था , लेकिन कार्यालय द्वारा इस राशि को सरकारी कोष में जमा नही किया पाया गया। उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नही होने के कारण राज्य के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ना स्वभाविक था। क्या इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि निदेश प्राप्त होने पर सूद की राशि अधतन कर सरकारी कोष में जमा कर दिया जायगा।

अतः स्थानीय पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे अपने स्तर से अविलम्ब बैंक में पड़ी सूद की राशि को कोषागार में जमा कराकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

### (9) सामान्य रोकड़ पुस्त में लम्बी अवधि से जमा पड़ी हुई विभिन्न मद का अनुपयोगी कुल राशि 97,35,535=92 पै0 सरकारी कोषागार में जमा करने के सम्बन्ध में :–

सामान्य रोकड़ पुस्त के जाँचक्रम में पाया गया कि विभिन्न शीर्ष में संवरण शेष के रूप में लम्बी अवधि से राशि 97,35,535=92 पै0 जमा पड़ा हुआ था। विवरण निम्न प्रकार है।

| क्रमांक | शीर्ष | दिनांक | कोषागार में जमा करने योग्य राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रजिस्टर II | 31.3.08 | 1,16,133=06 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2515 दलपति (ग्रामपंचा0) | 31.3.08 | 19,06,896=63 | |
| 3 | दंगा अनुदान | 31.3.08 | 38,71,976=36 | |
| 4 | वृद्धावस्था पेंशन | 31.3.08 | 7,653=85 | |
| 5 | 2014 न्याय प्रशासन | 31.3.08 | 28,946=72 | |
| 6 | 2058 स्टेशनरी | 31.3.08 | 23,048=54 | |
| 7 | स्माज कल्याण | 31.3.08 | 1,03,474=95 | |
| 8 | 2053 आकस्मिक | 31.3.08 | 18,105=20 | |
| 9 | एस0 एस0 परीक्षा | 31.3.08 | 12,150=00 | |
| 10 | दंगा में मृतक अनुदान राशि के राशि से प्राप्त सूद की राशि | 31.3.08 | 36,13,771=66 | |
| 11 | परिसदन | 31.3.08 | 33,378=95 | |

**कुल राशि – 97,35,535=92 पै0**

इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया।अनुपालन में कहा गया कि राशि को निदेशानुसार कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अविलंव सूचित कर दिया जायगा।

इस सम्बन्ध में स्थानीय पदा0 का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इस अनुपयोगी राशि 97,35,535=92 को कोषागार में अविलंव जमा कराया जाय और प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

## (10) अंकेक्षण के दृष्टान्त पर वसूली गयी राशि कुल 7,05,832=00 का विवरण :–

वर्ष 2007–08 के जाँचक्रम में अनेक निर्गत आपत्तियों में जमा करने योग्य राशि का सुझाव दिया गया था,जिसमें पाँच आपत्तियो का कुल राशि 7,05,832=00 स्थानीय पदाधिकारी द्वारा नाजीर रसीद/चालान द्वारा कोषागार में जमा किया गया, जिसका सत्यापन कर लिया गया। जमा राशि का विवरण निम्नवत् पाया गया :–

| आपत्ति सं0 | विवरण | राशि | नजीर रसीद सं0/चालान सं0 | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अन्तर की राशि | 10,000=00 | ना0 र0 सं0– 767786/28.8.09 | स्थगित |
| 6 | परिसदन कमरा का भाड़ा की राशि | 2,500=00 | 767785/27.8.09 चालान सं0 व दि0 26. 11.09 कोषागार भागलपुर | स्थगित |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | राजस्व प्राप्ति की राशि कोषागार में जमा नही किया जाना | 3,91,244=00 | चलान सं0 51 दि0 12. 11.09 बन्दोबस्ती की राशि 3,45,467=00 चा0 सं0 52/12.11.09 निबंधन शुक्ल –25,338/=चा0 सं0 50/12.11.09 स्टाम्प शुक्ल 20,439=00 | स्थगित |
| 9 | ए0 सी0 बिल द्वारा निकासी की गयी राशि व्यय नही करने के फलस्वरूप कोषागार में जमा | 3,00,000=00 | चा0 सं0 49/12.11.09 | स्थगित |
| 16 | दैनिक परिश्रमिक के रूप में अधिक भुगतान की गयी राशि | 2,088=00 | चा0 सं0 10/26.11.09 | स्थगित |

**योग – 705,832=00**

## (11) संवरण राशि में रू0 2,34,19,139=01 पै0 को अनपोस्टेड अभिश्रव के रूप में रखा जाना आपत्तिजनक –

जाँचक्रम में पाया गया कि दिनांक 1.4.07 को सामान्य रोकड़–पुस्त के सवंरण राशि में रू0 2,14,05,559=31 पै0 का अनपोस्टेड अभिश्रव था जो अंकेक्षण अवधि में रू0 20,13,579=01 की बढोत्तरी के साथ दि0 31.3.08 को संवरण रोकड़ की राशि में बढ़कर रू0 2,34,19,139=01 पै0 हो गया।

बिहार बजट हस्तक के नियम 107(3),112,113,121,एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम 71,72,471,472,475 के अनुसार संवरण रोकड़ में अनपोस्टेड अभिश्रव रखने का प्रावधान नही था, लेकिन उपरोक्त वित्तीय नियमों का उल्लांधन कर संवरण की राशि को अनपोस्टेउड अभिश्रव के रूप में रख गया था। प्रशासी विभाग का ध्यान इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उक्त इस प्रवृति पर रोक लगाने हेतु उपरोक्त वित्तीय नियमों का कठोरता से पालन किया जाय एवं संबंधित मदो में राशियों का आबंटन प्राप्तकर अप्रविष्ट अभिश्रवों की राशि का समायोजन किया जाय।

## (12) सामान्य अभ्युक्तियाँ :–

(क) रोकड़–पुस्त का भौतिक सत्यापन :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86(4) के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए लेकिन अवधि में एक

बार भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया नही पाया गया। भविष्य में उक्त नियम को दृढ़ता से पालन किया जाय।

(ख) स्थायी एवं अस्थायी क्रीत सामनों का एक ही साथ भंडार –पुस्त का संधारण किया पाया गया। यह नियमानुकूल नही था। स्थायी एवं अस्थायी भंडार –पुस्त का अलग–अलग संधारित किया जाय। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली खंड–1 के नियम 143 के अनुसार वर्ष के अन्त में भंडार का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जाय।

(ग) निरीक्षण प्रतिवेदन – निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका से ज्ञात हुआ कि दि0 9.1.06 को जिला पदाधिकारी भागलपुर द्वारा जिला नजारत कार्यालय भागलपुर का निरीक्षण किया पाया गया। उक्त प्रतिवेदन में कार्यालय अधीक्षक द्वारा 1982 के बाद निरीक्षण तिथि तक नजारत शाखा का निरीक्षण नही किये जाने का उल्लेख था। बोर्ड प्रर्कीण नियमावली के नियम 332 के अनुसार जिला नजारत को कार्यालय अधीक्षक के नियंत्रण में रहना था कायार्लय अधीक्षक को सामान्य निरीक्षण का निदेश दिया गया था। परन्तु उनके द्वारा इस निदेश का अनुपालन किया नही पाया गया।

**लेखा नियंत्रक**
**वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना**

**<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>**

**(1)**

**(2)**

**<u>परिशिष्ट "ए" कंडिका 1(ट) से संबंधित</u>**

**<u>अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची वर्ष 2007–08</u>**

## (क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र–पंजी–नजारत शाखा, स्थापना शाखा,जिला आपूर्त्ति शाखा, राजस्व शाखा ,सामान्य शाखा
2. सामान्य रोकड़–पुस्त
3. सहायक रोकड़–पुस्त –पंजी–1,पंजी–2 2515 विकास, विविध, 2055 पुलिस, 2029 भू0 रा0, 2245 सहाय्य, 3456 आपूर्त्ति ,स्वतंत्रता सैनानी, 2053 जि0 प्र0, 2053 सी0 एन0 सी कला संस्कृति एवं खेल ,सूद सहायक –पंजी, 2070 परिसदन ,श्रावणी मेला ,2058 स्टेशनरी वृद्धावस्था पेंशन
4. अभिश्रव –पंजी
5. अनपोस्टेड अभिश्रवों की रक्षी –पंजी
6. अग्रिम –पंजी
7. नाजीर रसीद वही का कार्बन प्रति।
8. ड्राफ्ट चेक –पंजी
9. वेतन भुगतान –पंजी शीर्ष 2053 जि0 प्र0 , 3456 आपूर्त्ति ,2029 भू0 रा0
10. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी शीर्ष 2053 जि0 प्र0
11. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रति 2053 जि0 प्र0
12. अभिश्रवों की रक्षी संचिका – मैट्रिक परीक्षा, 2515 विकास, 2055 पुलिस, 2245 सहाय्य, 3456 आपूर्त्ति ,स्वतंत्रता सैनानी ,2053 सी0 एन0 सी, कला संस्कृति एवं खेल ,2070 परिसदन
13. समायोजित अभिश्रवों की रक्षी–पंजी–शीर्ष 2053 जि0 प्र0, 2029 भू0 रा0 ,2070 परिसदन 2014 न्याय प्रशासन ,2055 पुलिस,2245 सहाय्य, 3456 आपूर्त्ति ,2030 स्टाम्प।
14. बैंक खाते से संबंधित पासबुक
15. निरीक्षण प्रतिवेदन संचिका
16. स्थायी एवं अस्थायी सामग्रीयों का भंडार –पंजी
17. पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन – 15/08–09,87/05–06,109/06–07
18. कोषागार निक्षेपण–पंजी
19. चालान की भूलप्रति
20. आवंटन –पंजी –शीर्ष 2029,शीर्ष 3456 ,2055,2014,2515 क एवं ख ,2053,3475 आदि।
21. आवंटन संचिका –शीर्ष 2053,2029,3456,2055,2014,2515,3475 आदि
22. उपस्थिति –पंजी
23. राशि प्रत्यार्पण से संबंधित संचिका।

## अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. जेनरेटर लॉग बुक

2. गाड़ी लॉग बुक –गाड़ी सं0 बी0 आर–10 पी 0057, बी आर 10 डी 5221, बी0 आर0 जे 8310, बी0 आर0 10ए 6699,बी0 आर0 10 ए 6759, बी0 आर0 जे 1492, बी0 आर0 जे– 1100
3. सेवा –पुस्त